न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आँगनबाड़ी अपील वाद–178/2014

37/2016

नजरे आरा बनाम राज्य

–:: आदेश ::–

20.9.17

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी नजरे आरा द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आंगनवाड़ी वाद संख्या–31/2013–14 में दिनांक 11.03.2014 को पारित चयनमुक्ति संबंधी आदेश ज्ञापांक – 483–1 दिनांक 11.03.2014 के विरुद्ध उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्याग्रालय में 178/2014 दाखिल किया गया, जो समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–3226, दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका–10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में वाद हस्तानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा वाद संख्या–31/2013–14 में पारित चयनमुक्ति आदेश ज्ञापांक–483–1/आई.सी.डी.एस. दिनांक 11.03.2014 के विरुद्ध अपीलार्थी नजरे आरा द्वारा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी का कहना है कि ग्राम पंचायत–भेलाही, प्रखंड–महिषी, जिला–सहरसा के सदर मुहल्ला वार्ड संख्या–08 के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–83 पर दिनांक 03.06.2013 को हुए आम सभा द्वारा विधिवत रूप से चयन किया गया था। इस पद हेतु 06 (छः) अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रेषित किये गए थे। जिसमें क्रमांक – 1, 2, 3 अन्य पोषक क्षेत्र के थे वो मेद्या सूची के क्रमांक 04 पर इनका तथा क्रमांक – 5 पर फिरदौस खातुन तथा क्रमांक – 6 पर प्रत्यर्थी फरमूदा खातुन का नाम था वो पोषक क्षेत्र के अभ्यर्थियों में सर्वाधिक मेघा अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी यही थी, जिस वजह से उनका चयन आँगनबाड़ी सेविका पद पर किया गया। अपीलार्थी का आगे कहना है कि उनके पति मो0 शाहीद अली पूर्व में पैक्स के अन्तर्गत डीलर के संचालनकर्त्ता थे वो उक्त पद न तो सरकारी वो ना अर्द्धसरकारी है बावजूद दिनांक–01.09.2012 ई० को अपना त्याग पत्र पैक्स प्रबंधक को दे दिया, जिसे पैक्स प्रबंधक द्वारा दिनांक–03.09.2012 को स्वीकार भी कर लिया गया तथा आम सभा दिनांक–03.06.2013 को संपन्न हुई। जिस वजह से वे पैक्स के अन्तर्गत डीलर के संचालनकर्त्ता नहीं रहे। अपीलार्थी का आगे कहना है कि उनके ससुर अबु अहमद की दो पत्नियाँ क्रमशः हमीदा खातुन एवं हलीमा खातुन है। हमीदा खातुन जो अपीलार्थी की सौतेली सास है के तीन पुत्र 1. अशरफ़ अली 2. असगर अली एवं 3. आसिफ अली एवं पुत्रियाँ कहकसाँ बेगम वो गुलसिता बेगम है, जिसमें असगर अली वो आशिफ अली शिक्षक है तथा और हलीमा खातुन जो अपीलार्थी का अपनी सास है उनको चार पुत्र क्रमशः शाहिद अली, शादीक अली, अतहर अली वो असद अली है तथा एक बहन महरून निशां है, जिसमें कोई सरकारी नौकरी में नहीं है। मुस्लिम सम्प्रदाय में सौतेल भाई अथवा भैसुर का स्थान बहुत दूर होता है वह निकट रिश्तेदार के अन्तर्गत नहीं आता है। आम सभा के द्वारा भी इस बात को जानते हुए इसका चयन किया गया, परन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा चयनमुक्ति का ओदश पारित कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा वाद दायर किया गया है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि अपीलार्थी के पति शाहीद अली ग्राम पंचायत–भेलाही में पैक्स प्रबंधक–सह–जनवितरण प्रणाली के डीलर के पद पर कार्यरत है। इनके द्वारा बिहार सूचना अधिकार नियमावली, 2006 के तहत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी द्वारा सूचना दी गई – " पैक्स प्रबंधक श्री शाहीद अली के द्वारा जनवितरण प्रणाली के डीलर के पद पर भी कार्य सम्पादित करते है, जो त्यागपत्र नहीं दिए है तथा माह जून, 2013 तक जनवितरण सामग्रियों का उठाव किये है।

20.9.17

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक–193 दिनांक–21.12.2013 में मो0 शाहीद अली द्वारा 29 जून, 2013 को 423.75 लीटर किरासन तेल का उठाव किया गया है, जबकि अपीलार्थी का चयन दिनांक 14.06.2013 को की जा चुकी थी। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी के पति के सगे भाई असगर अली, आशीफ अली वो उनकी गोतनी (भाई का पत्नी) रिजवाना खातुन, अतहर अली, असद अली तथा ननद कहकंशा बेगम शिक्षक के पद पर वो संवेदक के पद पर वो अन्य बिहार सरकार महकमें से लाभान्वित व्यक्ति है। प्रतिपक्षी का आगे कहना है कि अपीलार्थी के पति मो0 शाहीद अली के जनवितरण प्रणाली के तहत डीलर पद पर नियुक्ति की स्वीकारोक्ति किए है, किन्तु गलत ढ़ंग से त्यागपत्र देने का आख्यान करते है। प्रतिपक्षी द्वारा अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपीलवाद को खारीज का अनुरोध किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2011 में संशोधित/नये प्रावधान, कंडिका/उप कंडिका 4/4.9 के अनुसार संबंधित पंचायत/प्रखंड/अंचल/अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित सरकारी (केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार)/अर्द्ध सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी के रिशतेदार का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। खरिश्तेदार से अर्थ है–माँ, पत्नी, बहू, ननद, भाभी (अर्थात बड़े एवं छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन,। ग्राम सभा में चयन समिति द्वारा मार्गदर्शिका 2011 में संशोधित/नये प्रावधान, कंडिका/उप कंडिका 4/4.9 का अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। मूल अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

20.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

20.9.17

जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 1499-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
22-09-2017 जिला विधि शाखा, सहरसा।